संख्या–98 VI-1/2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
खेल विभाग,
देहरादून।

खेल अनुभाग देहरादून दिनांक 10 अगस्त ,2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–2005 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–65/ VI-1 /2004 दिनांक 03 जून, 2004 शासनादेश संख्या–554/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 30 जुलाई,2004 एवं आपके पत्रांक–1269/आ0व्य0पत्रा0/2004–2005/दे0दून/दिनांक 02/8/2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित वचनबद्व मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 13899000 (रूपये एक करोड़ अडतीस लाख निन्यानब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नविवरणानुसार व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	मानक मद	धनराशि हजार रूपये में
1–	03–भूतपूर्व प्रसिद्व खिलाडियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता –00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	33
	04–क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय–00–42–अन्य व्यय	2413
	05–क्रीडागनों का विकास 29–अनुरक्षण–00–42–अन्य व्यय	333 267
2–	07–विशिष्ट खिलाडियों को प्रदेशीय पुरस्कार –00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	133
3–	10–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार–00–20– सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	200
4–	11–राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीम के खिलाडियों हेतु किट की व्यवस्था–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	267
5–	12–प्रदेशीय कीड़ा संघ, क्लबो एवं अन्य कीडा संघों आदि का प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरण कय हेतु अनावर्तक अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	333
6–	13–स्पोर्ट्स कालेज में अनुदान 1301–स्पोर्टस कालेज देहरादून को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	6253
	43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	1067
7–	14–प्रतियोगिताओं का आयोजन–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	1167

8–	15–प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	967
9–	21–अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगितायें–00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	133
10–	22–प्रदेशीय कीड़ा संधो एवं क्लबो को आर्थिक सहायकता00–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता	333
	योग–	13899

(रूपये एक करोड़ अडतीस लाख निन्यान्बे हजार मात्र)

2–उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। निवर्तन पर रखी गयी इस धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3–यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4–किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

5–उपरोक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व इसके मदवार व्यय के प्रस्तावों/योजनाओं/कार्कमों का विवरण भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–104–खेलकूद के आयोजनेत्तर पक्ष के उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

7–यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–246/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 07 अगस्त,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-1/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4–वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6–निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।